न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला
12.11.2022

2019

उनवान

बूचीबाई उर्फ अनारबाई पुत्री रामनाथ पत्नि धन्नालाल जाति मीणा निवासी रिछाहेड़ी तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीनी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
वादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादीनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ीनी की सहखातेदारी भूमि खसरा नं0 127 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 127/1178 रकबा 0.57 ख0नं0 618 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 763 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 764 रकबा 0.26 हे0, न किता 5 रकबा 3.32 हे0, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित ख0नं0 1329 बा 0.86 हे0, ख0नं0 1332 रकबा 0.18 हे0 कुल 2 किता रकबा 1.04 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा सील दीगोद में स्थित ख0नं0 123 रकबा 2.75 हे0, ग्राम देवपुरा में स्थित ख0नं0 5/1202 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 801 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 1346 रकबा 0.19 हे0, कुल किता रकबा 0.60 हे0 व ख0नं0 113 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 114 रकबा 1.47 हे0, ग्राम पुरा में स्थित है भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीनी का नाम ोबाई दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि वादीनी को बचपन में बूचीबाई के नाम से भी पुकारा जाता था, जबकि वादीनी वास्तविक नाम अनारबाई है तथा वादीनी के पहचान से सम्बंधित समस्त दस्तावेज में दीनी का नाम अनारबाई अंकित है।

यह कि उपरोक्त भूमि में वादीनी का नाम दर्ज करते समय वादीनी का घर का बोलता म बूचीबाई ही दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत है। जबकि वादीनी का वास्तविक नाम नारबाई है। बूचीबाई व अनारबाई दोनों नाम एक ही महिला के हैं जिसमें उपरोक्त भूमि के जस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम बूचीबाई के स्थान पर अनारबाई दर्ज किया जाना आवश्यक ।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीनी का निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि :-

अतः वादीनी ने निवेदन ने किया कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में दीनी की सहखातेदारी भूमि खसरा नं0 127 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 127/1178 रकबा 0.57 , ख0नं0 618 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 763 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 764 रकबा 0.26 हे0, ल किता 5 रकबा 3.32 हे0, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित ख0नं0 1329 कबा 0.86 हे0, ख0नं0 1332 रकबा 0.18 हे0 कुल 2 किता रकबा 1.04 हे0 भूमि, ग्राम देवपुरा हसील दीगोद में स्थित ख0नं0 123 रकबा 2.75 हे0, ग्राम देवपुरा में स्थित ख0नं0 5/1202 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 801 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 1346 रकबा 0.19 हे0, कुल किता रकबा 0.60 हे0 व ख0नं0 113 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 114 रकबा 1.47 हे0, ग्राम वपुरा में स्थित भूमि में वादीनी का नाम बूचीबाई के स्थान पर अनारबाई दर्ज किया जाकर जस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत कराई गई प्रतिवादी हसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। हसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में बूचीबाई व अनारबाई एक ही महिला होना प्रकट किया । वादीनी द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार देवलाल आत्मज रामनाथ ा शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत अमरपुरा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल ।

वादीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड ा अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला ोटा में वादीनी की सहखातेदारी भूमि खसरा नं0 127 रकबा 1.45 हे0, ख0नं0 127/1178 कबा 0.57 हे0, ख0नं0 618 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 763 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 764 रकबा 26 हे0, कुल किता 5 रकबा 3.32 हे0, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित 0नं0 1329 रकबा 0.86 हे0, ख0नं0 1332 रकबा 0.18 हे0 कुल 2 किता रकबा 1.04 हे0 मि, ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में स्थित ख0नं0 123 रकबा 2.75 हे0, ग्राम देवपुरा में स्थित 0नं0 115/1202 रकबा 0.16 हे0, ख0नं0 801 रकबा 0.25 हे0, ख0नं0 1346 रकबा 0.19 , कुल 3 किता रकबा 0.60 हे0 व ख0नं0 113 रकबा 0.75 हे0, ख0नं0 114 रकबा 1.47 , ग्राम देवपुरा में स्थित भूमि में वादीनी का नाम बूचीबाई पुत्री रामनाथ के स्थान पर चीबाई उर्फ अनारबाई पुत्री रामनाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं हने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया या।

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)